

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 518/एल 2014-71-00187/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016
प्रति,


शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय:-छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अवकाश नियम, 1977 में संशोधन

छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अवकाश नियम, 1977 के नियम 5 के अनुसार महिला कर्मचारियों को 45 दिन की अवधि के लिये प्रसूति अवकाश की पात्रता है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त अवकाश की अवधि में वृद्धि की जाकर 90 दिन किया जाए। साथ ही नियम 7 में संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी को अवकाश में जाने के तत्काल पूर्व आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन की पात्रता होगी। अवकाश की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

2/ छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अवकाश नियम, 1977 के नियम 5 एवं नियम 7 में संशोधन की अधिसूचना संलग्न है। यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगा। यदि कोई महिला कर्मचारी इस नियम के लागू होने की तिथि में मातृत्व अवकाश पर है तो उसे भी मातृत्व अवकाश की बढ़ी हुई अवधि का लाभ प्राप्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एस.के.चक्रवर्ती) 28/12/2016

पृ. क्र. 519 / एल 2014-71-00187 / वि / नि / चार नया रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
 2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
 3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
 4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
 6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
 7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
 8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
 9. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
 10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
 11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
 12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
 13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
 14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
 15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
 16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
 17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
 18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नया रायपुर
- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

(एस.के.चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2016

क्रमांक 516/एल 2014-71-00187/वित्त/नियम/चार :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अवकाश नियम, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) नियम 5 में, शब्द एवं अंक “45 दिवस” के स्थान पर, शब्द एवं अंक “90 दिवस” प्रतिस्थापित किया जाये।
- (2) नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“7. अवकाश वेतन— (1) ऐसे कर्मचारी, जो अर्जित अवकाश या प्रसूति अवकाश पर प्रस्थान करता है, को उसके अर्जित अवकाश या प्रसूति अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन की पात्रता होगी।

(2) असाधारण अवकाश लेने वाले कर्मचारी को, किसी प्रकार की अवकाश वेतन की पात्रता नहीं होगी।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस. के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

**Government of Chhattisgarh
Finance Department
Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Naya Raipur**

NOTIFICATION

Naya Raipur, dated 26 December, 2016

No. 516/L 2014-71-00187/Finance/Rules/IV :: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Work-charged and Contingency paid Employees Leave Rules, 1977, namely:-

AMENDMENT


In the said rules :-

- (1) In rule 5, for the words and figures "45 days", the words and figures "90 days" shall be substituted.
- (2) For rule 7, the following rule shall be substituted, namely :-

"7. Leave Salary- (1) An employee, who proceeds on earned leave or maternity leave, shall be entitled to leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on earned laeve or maternity leave.

(2) An employee on extraordinary leave shall not be entitled to any leave salary"

By order and in the name of the
Governor of Chhattigarh


(S. K. Chakraborty)
Joint Secretary